मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल, 2002 (चैत्र 25, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के कृषि भूमि धारकों का उधार देने वालों के भूमि हड़पने संबंधी कुचक्रों से परित्राण तथा मुक्ति अधिनियम, 1976 (क्रमांक 3 सन् 1977) की धारा 18 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.20-2-2000-सात-शा.-6, दिनांक 10 जनवरी, 2002 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) की वैधानिक आडिट रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 16 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-10-2000-विक-पांच(78) दिनांक 11 सितम्बर, 2001 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, कमल पटेल, सुश्री निर्मला भूरिया, सदस्य, झाबुआ जिले के सेजा ग्राम के चौकीदार की संदिग्ध मृत्यु होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री विनोद डागा, पी.सी. शर्मा, राजनारायण सिंह, सदस्य, प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के ठेके में फर्जी बैंक ड्राफ्ट जमा किए जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वक्तव्य

श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रदेश की आर्थिक विकास नीति के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002 (क्रमांक 12 सन् 2002) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

2 घन्टे — (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की तीसरी रिपोर्ट वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 तथा चौथी रिपोर्ट वर्ष 1996-97 एवं 1997-98, खण्ड II-12, मध्यप्रदेश और आयोग की तीसरी रिपोर्ट एवं चौथी रिपोर्ट में मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुशंसाओं का पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

2 घन्टे — (2) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 पर चर्चा.

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 14 अप्रैल, 2002